न्यायालयः प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश–सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–389 / 2026
बसमतिया थाना कांड संख्या– 03 / 2026

सुमन कुमार मेहता एवं 04 अन्य..... आवेदकगण
बनाम
राज्य सरकार

आदेश

16-03-2026 आवेदकगण / अभियुक्तगण 1.सुमन कुमार मेहता, 2.सुबोध कुमार मेहता, 3.बिनोद कुमार मेहता, 4.प्रमीला देवी एवं 5.बिजेन्द्र मेहता की ओर से अपनी गिरफ्तारी की आशंका के आधार पर बी0एन0एस0एस0 की धारा 482 के अन्तर्गत दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन, जो बसमतिया थाना कांड संख्या– 03 / 2026, अंतर्गत धारा–115(2), 126(2), 352, 351(2), 303(2), 76, 3(5) भा0न्या0सं0 से संबंधित है, को आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया।

अग्रिम जमानत आवेदन पर आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार मेहता एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री राजानंद पासवान को सुना।

संक्षेप में अभियोजन वाद सूचिका अंजली कुमार के अनुसार यह है कि दिनांक 06.01.2026 को समय संध्या 04:30 बजे में उसका पड़ोसी प्राथमिकी के नामजद अभियुक्तगण उसके खेतों में जबरन जलावन रख दिया। जब वह बोली कि मेरे खेत में जलावन क्यों रख दिया, तो गाली–गलौज करने लगा तथा बाल पकड़कर जमीन पर पटक कर बदन का कपड़ा खींचकर अर्द्धनग्न कर डंडा से पूरे बदन पर मारा तथा सिर पर भी मारा जिससे सिर फाड़ दिया। जब सूचिका का पति बचाने आया तो उसे भी अभियुक्त बिजेन्द्र मेहता लाठी–डंडा से बेरहमी से मारपीट किया। गले का मंगलसूत्र छीन लिया तथा जान से मारने की धमकी दिया।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदकगण निर्दोष है और कोई घटना कारित नहीं किया है। आवेदकगण द्वारा इससे पूर्व कोई भी अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन पत्र इस न्यायालय या फिर माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियोजन की कहानी बिल्कुल गलत, आधारहीन एवं मनगढ़ंत है। आवेदकगण के विरूद्ध लगाया गया आरोप पूर्णतया गलत व आधारहीन है। उक्त वाद बसमतिया थाना कांड सं0–04 / 2026

का काउंटर है। आवेदकगण के विरूद्ध चोरी करने तथा कपड़ा फाड़ने का कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। उभय पक्षों के बीच सुलह–समझौता हो गया है। उपरोक्त कथनों के साथ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदकगण को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करने की प्रार्थना किया है।

विद्वान अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते है।

दोनों पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया, अवलोकन से स्पष्ट है कि दोनों पक्ष आज न्यायालय में उपस्थित हैं और वे एक–दूसरे के विरूद्ध दर्ज कराये गये प्राथमिकी में जमानत आवेदन का विरोध नहीं करना चाहते हैं। जख्म भी साधारण प्रकृति की होने की बात एक–दूसरे के द्वारा कही गयी है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर आवेदकगण का अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है। आवेदकगण को आदेश की तिथि से दो सप्ताह के अन्दर गिरफ्तार होने अथवा न्यायालय में आत्मसमर्पण करने पर रू 10,000/– (दस हजार रूपये) एवं समान राशि के दो प्रतिभूओं के साथ बंधपत्र संबंधित न्यायालय में इस शर्त के साथ दाखिल करने पर कि आवेदकगण आरोप निर्माण तक प्रत्येक तिथि को सदेह उपस्थित रहेंगे एवं संबंधित न्यायालय के संतुष्टि पर धारा–438(2) द0प्र0सं0 की शर्तों के अनुपालन करने पर, आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

(लेखापित)

Sd/-
(मनोज कुमार तिवारी)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।